

डिक्री व मुकदमें इक्ट्दाई  
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्डाधिकारी राजाखेडा  
अज इजलास :- देवी सिंह (आर.ए.एस.)  
मुकदमा नम्बर: 8/21

1. मुन्नालाल पुत्र फददीराम जाति धोवी निवासी मुहल्ला जरिहा कस्वा राजाखेडा तहसील राजाखेडा, धौलपुर हाल आवाद आगरा (उ0प्र0)

.....वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र श्रीचन्द कौम कोली निवासी गाँव सामलिया पुरा तहसील राजाखेडा, धौलपुर (राज0)
2. तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुर (राज0)

.....प्रतिवादीगण

दावा- विभाजन काश्त मय स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 03.08.2022

मु0 नम्बर 8/21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू मुझ देवी सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्डाधिकारी राजाखेडा व हाजिरी श्री प्रेम सिंह राघव अधिवक्ता वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाकर दावा वादी मुताविक कुर्रजात प्रस्ताव विवादित आराजी स्थित ग्राम आम का पुरा तहसील राजाखेडा का निम्न प्रकार से अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि - आराजी खसरा न0 2226/1 रकवा 0.1138 है0 किस्म वा0प्र0 लगान 0.05 दिशा दक्षिण स्थित वाके ग्राम आम का पुरा तहसील राजाखेडा वादी मुन्नालाल पुत्र फददीराम जाति धौबी सा. कस्बा जरिया के हिस्से व कब्जे में रहेगी। तथा आराजी खसरा न0 2226/2 रकवा 0.1138 है0 किस्म वा0प्र0 लगान 0.05 दिशा उत्तर-पश्चिम स्थित वाके ग्राम आम का पुरा प्रतिवादी अमरसिंह पुत्र श्रीचंद जाति कोली सा. सामलियापुरा के हिस्से व कब्जे में रहेगी

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे।

व शब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज दिनांक 03.08.2022 को अंतिम डिक्री जारी की गई ।

(देवी सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा

